

फोन : कार्यालय - 0551 - 2340363
आवास - 0551 -

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर - 273009



इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय।

पत्रांक, 292.../सम्बद्धता/2015-

दिनांक 30/04/2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
ललितावती देवी महिला महाविद्यालय, हरैया, सोहनरिया,
देवरिया।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के अन्तर्गत प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति के आधार पर स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में प्रवक्ता के चयन का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है-

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	विषय
1	डॉ० मनोज कुमार पटेल	प्रवक्ता, भौतिकी
2	डॉ० सुधीर कुमार भाटी	प्रवक्ता, रसायन विज्ञान
3	डॉ० शिव प्रकाश मिश्रा	प्रवक्ता, गणित
4	डॉ० कृष्ण कुमार वर्मा	प्रवक्ता, वनस्पति विज्ञान
5	डॉ० शिवशंकर	प्रवक्ता, प्राणि विज्ञान

शर्तों-

- महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या: 2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य/प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध पत्र में समयवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- शासनादेश संख्या 759/सत्तर-2-2006-2(85)/97 दिनांक: 11, मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप छात्रों के शिक्षण शुल्क से प्राप्त होने वाली आय का 75 से 80 प्रतिशत संस्था द्वारा वेतन मद में व्यय किया जाय तथा शिक्षक को रखे जाने वाले अनुबन्ध पत्र में दिये जाने वाले वेतन, अवकाश आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त सगस्त अध्यापकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों के एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
- अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

उप कुलसचिव(सम्बद्धता)

(Signature)